जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–417/2026

दाउदनगर थाना काण्ड संख्या–106/2026

1. संतोष कुमार पिता–रामईश्वर साव, 2. रंजन कुमार पिता शंकर साव, 3. रामईश्रवर साव उर्फ रामईश्वर साव पिता स्व0 जगन साव एवं 4. पिन्टु साव पिता स्व0 विनोद साव, सभी निवासी ग्राम–मखदुमपुर, थाना–दाउदनगर, जिला औरंगाबाद (बिहार) .....आवेदकगण। बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी।
आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता––श्री कृष्ण प्रताप सिंह। राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता––––श्री शक्ति कुमार सिंह (विशेष लोक अभियोजक)।

16.04.2026 उपरोक्त आवेदकगण की ओर से दाउदनगर थाना कांड संख्या–106/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(2), 118(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति में अपनी गिरफ्तारी के आशंका को देखते हुये अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि विद्वान विशेष लोक अभियोजक को दी गई है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक–26.01.2026 को समय करीब 06:30 बजे शाम को सूचक अभिमन्यु कुमार के भतीजा मनोज कुमार को सरस्वती पुजा विसर्जन हेतु अभियुक्त संतोष कुमार ले गया और उसके साथ मारपीट किया। इससे संबंधित पूछताछ हेतु दिनांक–27.01.2026 को सुबह आठ बजे सूचक संतोष कुमार क घर गये तो उपरोक्त अभियुक्तगण एक राय होकर गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे तथा जाति सूचक शब्द 'चमार' का प्रयोग किये। इस घटना में सूचक सहित कई अन्य लोग घायल हुये है।

आवेदकगण/अभियुक्तगण ने अपने दाखिल याचिका में यह निवेदन किया गया है कि वे निर्दोष है। आवेदकगण के द्वारा इसके पूर्व किसी न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण का अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदकगण द्वारा किसी तरह का कोई जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित नहीं किया है और न कोई मारपीट किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। उक्त मुकदमा दाउदनगर थाना कांड संख्या–105/2026 का पलटा मुकदमा है। अतः आवेदकगणण को किसी भी राशि के बंधपत्र पर जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है।

उभय पक्ष को सुना एवं मूल अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त अग्रिम जमानत आवेदन, दाउदनगर थाना कांड संख्या–106/2026 अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 352, 351(2), 118(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 एवं धारा 3(i)(r)(s)/3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित है। उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सूचक एवं अन्य के विरूद्ध जाति सूचक गाली देते हुए मारपीट करने का आरोप है। न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान समय लोकतंत्र और समानता का समय है। आज किसी भी व्यक्ति या समुदाय का अपमान या उन्हें नीचा नहीं दिखाया जाना चाहिए और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यही हमारे संविधान की भावना है और इसके मूलभूत सिद्धांतों का हिस्सा है। इसलिए तथाकथित उच्च जातियों और

लगातार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति, बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम), औरंगाबाद।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–417/2026

दाउदनगर थाना काण्ड संख्या–106/2026

लगातार
16.04.2026

'चमार' शब्द का प्रयोग अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति के किसी सदस्य के संबोधित करते समय नहीं करना चाहिए, भले ही वह व्यक्ति वास्तव में ''चमार'' जाति का हो, क्योंकि ऐसे शब्दों का प्रयोग उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में इतने सारे धर्मो, जातियां, जातीय और भाषाई समूहों आदि के साथ सभी समुदायों और समूहों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए और किसी को भी हीन नहीं समझा जाना चाहिए। यह एकमात्र तरीका है, जिसमें हम अपने देश को एकजूट रख सकते है। सार्वजनिक स्थान पर किसी अनुसूचित जाति के सदस्य को अपमानित या नीचा दिखाने के इरादे से ''चमार'' कहना अधिनियम की धारा 3(1)(x) के तहत निश्चित रूप से एक अपराध है। अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। आहत का अनुसूचित जाति समुदाय से होना, जैसा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 18 और 18(A) में निहित है, यह भी दर्शाता है कि यदि अनुसूचित जाति समुदाय के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई कृत्य किया जाता है, जिसकी जाति से याचिकाकर्त्ता परिचित थे, तो यह कृत्य दंडनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किरण बनाम् राजकुमार जीवराज जैन में पारित आदेश दिनांक– 01.09.2025 से यह पुष्टि होती है कि एससी/एसटी अधिनियम कमजोर समुदायों की गरिमा और सुरक्षा के लिए एक ठोस सुरक्षा कवच है, न कि महज एक औपचारिकता।

अतः उपरोक्त विवेचनोपरांत एवं अधिनियम की धारा 18 द्वारा स्पष्ट रूप से लगाये गये प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, उक्त अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव आवेदकगण नामतः 1. संतोष कुमार, 2. रंजन कुमार, 3. रामईश्रवर साव उर्फ रामईश्वर साव एवं 4. पिन्टु साव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका खारिज किया जाता है।

आदेश की तिथि	16.04.2026
आदेश सुरक्षित रखने की तिथि	नही
अपलोड करने की तिथि	17.04.2026
द्वारा अपलोड किया गया	स्टेनोग्राफर

लेखापित

(विश्व विभूति गुप्ता),
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/जनजाति,बच्चे, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम),औरंगाबाद।
16.04.2026